न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यारित)

प्रकरण संख्या 01/2025
प्रविष्टि दिनांक 09.01.2025

पूरण सिंह राजावत पुत्र कान सिंह राजावत निवासी चबराना तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.उचित मूल्य दुकानदार चबराना तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज.

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.2024 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–
1. श्री मूलचन्द बैरवा, अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांकः–07.10.2025

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 18.12.2024 से श्री पूरण सिंह राजावत,उचित मूल्य दुकानदार चबराना तहसील मालपुरा जिला टोंक का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट ने व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट को आवंटित उचित मूल्य की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को तत्कालीन जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया था, जिसके तहत उनके द्वारा वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन नही किया जाना पाया गया व वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान खुलने व बंद होने का समय अंकित नही होना पाया गया साथ ही दुकान पर मूल्य सूची एंव स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन नही किया जाना पाया गया था। जिसके सम्बन्ध मे अपीलांट ने लिखित मे जिला रसद अधिकारी टोंक के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब मय स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। बावजूद इसके उक्त जवाब मय स्पष्टीकरण को नजर अन्दाज करते हुए जिला रसीद अधिकारी द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अपीलांट/अप्रार्थी डीलर द्वारा अपने कार्यो एंव कर्तव्यो मे कोई अनियमितता नही बरती गई है। अपीलांट/अप्रार्थी डीलर ने अपने पास उपलब्ध समस्त स्टॉक का अंकन नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर मे किया हुआ था तथा उपभोक्ता पखवाडे की सूचना का अंकन भी उसके द्वारा नियमानुसार बोर्ड पर कर रखा था, लेकिन जिस बोर्ड पर सूचना का अंकन था, वह दुकान के

जिला कलेक्टर
टोंक

अन्दर रखा हुआ था, जिसे दुकान खुलने के समय बाहर रख देते थे, उस दिन बोर्ड को बाहर रखना भूल गये थे।दुकान की दीवार पर बाहर की तरफ दुकान खुलने एंव बंद करने का समय व मूल्य सूची का अंकन लिखवा दिया गया था। अपीलांट/अप्रार्थी डीलर की पोस मशीन मे उपलब्ध स्टॉक गेहूँ 14214.4 किलोग्राम था, जिसमे से 2500 किलोग्राम गेहूँ तो दुकान मे उपलब्ध था, शेष गेहू 11714.4 किलोग्राम जिस समय निगम की गाडी से आया था, उस समय अपीलांट अपने व्यक्तिगत कार्य से बाहर होने के कारण अपीलांट के भाई द्वारा निगम की गाडी मे आये गेहू को बगल वाली दुकान में उतरा दिया था,पास वाली दुकान का जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन भी मौके पर नही किया गया था। अपीलांट के पास किसी भी प्रकार से गेहूँ का स्टॉक कम नहीं था और ना ही अपीलांट ने बदनियती पूर्वक गेहूँ का गबन किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट द्वारा नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण किया गया है, जो राशनकार्ड व स्टॉक वेरीफिकेशन से पूर्णतया सावित है।जाँच के दौरान किसी भी राशन सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बयान लेखबद्ध नही किये गये है।अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवावी वहस में कथन किया कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 10.05.2024 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया। वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन नहीं किया जाना पाया गया।वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान खुलने व बन्द होने का समय अंकित नहीं पाया गया।दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया।पॉस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार दुकान में 14214.4 किलोग्राम गेहूँ होना चाहिए किन्तु मौके पर कुल 2500 किलोग्राम गेहूँ का स्टॉक पाया गया। इस प्रकार कुल 11714.4 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया जिसका मौके पर उपस्थित उचित मूल्य दुकान द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 05,08 एवं 11 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर कार्यालय आदेश कमाक अभियोजन/2024/930 दिनांक 20.05.2024 एंव संशोधन आदेश कमांक 991 दिनांक 27.05.2024 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर किया गया एवं कारण बताओ नोटिस कमाक/अभियोजन/939 दिनांक 20.05.2024 जारी कर अनियमितता का आगामी सुनवाई दिनांक 12.06.2024 को स्पष्टीकरण चाहा गया। अप्रार्थी डीलर द्वारा दिनांक 12.06.2024 को बिन्दूवार जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता पखवाडे की सूचना का अंकन बोर्ड पर कर रखा था जो कि दुकान के अन्दर रखा हुआ था उसको दुकान खुलने के समय बाहर रख देते थे उस दिन बोर्ड को बाहर रखना भूल गया था।दुकान खुलने व बन्द होने सम्बन्धी सूचना बोर्ड पर लिखी हुई थी,परन्तु बोर्ड अन्दर रखा हुआ था अब दुकान की दीवार पर भी दुकान खुलने व बन्द होने का समय लिखवा दिया गया है। दुकान का मूल्य सूची बोर्ड दुकान में रखा हुआ था जो बाहर रखना भूल गया। पोस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक गैहूं 14214.4 किलोग्राम था जिसमें से 2500 किलोग्राम गेहूं तो दुकान में उपलब्ध था बाकी गैहूं 11714.4 किलोग्राम गेहूँ मेरे भाई ने बगल वाली दुकान में उतरा दिया था। जिसका भौतिक सत्यापन मौके पर नहीं हो पाया। डीलर ने नोटिस के जवाब में अंकन किया है कि 11714.4 किलोग्राम गेहूँ मेरे भाई ने बगल

जिला कलेक्टर
टोंक

वाली दुकान में उतरा दिया था,परन्तु दुकान की जांच दिनांक 10.05.2024 को भौतिक सत्यापन में 11714.4 किलोग्राम गेहूँ कम पाये गये थे। डीलर द्वारा वक्त निरीक्षण 11714.4 किलोग्राम गेहूँ का गबन किया जाना पाया गया था। अप्रार्थी डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 8 व 11 का स्पष्ट उल्लघन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 10.05.2024 को अप्रार्थी डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितताएं पाई गई।वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन नहीं किया जाना पाया गया।वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान खुलने व बन्द होने का समय अंकित नही पाया गया।दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया।पॉस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार दुकान में 14214.4 किलोग्राम गेहूँ होना चाहिए किन्तु मौके पर कुल 2500 किलोग्राम गेहूँ का स्टॉक पाया गया। इस प्रकार कुल 11714.4 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया जिसका मौके पर उपस्थित उचित मूल्य दुकान द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उक्त अनियमितता करने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र को निलम्बित किया गया एवं अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर अनियमितता का बिन्दुवार जबाब मांगा गया। डीलर द्वारा दिनांक 12.06.2024 को बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है। उपभोक्ता पखवाडे की सूचना का अकन बोर्ड पर कर रखा था जो कि दुकान के अन्दर रखा हुआ था उसको दुकान खुलने के समय बाहर रख देते थे उस दिन बोर्ड को बाहर रखना भूल गया था।दुकान खुलने व बन्द होने सम्बन्धी सूचना बोर्ड पर लिखी हुई थी परन्तु बोर्ड अन्दर रखा हुआ था अब दुकान की दिवार पर भी दुकान खुलने व बन्द होने का समय लिखवा दिया गया है।दुकान का मूल्य सूची बोर्ड दुकान में रखा हुआ था जो बाहर रखना भूल गया। पोस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक गैहूं 14214.4 किलोग्राम था जिसमें से 2500 किलोग्राम गेहूं तो दुकान में उपलब्ध था बाकी गैहूं 11714.4 किलोग्राम गैहू मेरे भाई ने जो निगम की गाडी में आया था को बगल वाली दुकान में उतरा दिया था क्योंकि दुकान में सफाई का कार्य चल रहा था। जिसका भौतिक सत्यापन मौके पर नहीं हो पाया। डीलर के उक्त जवाब को सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता क्योंकि बगल वाली दुकान में गेहूँ रखने की जानकारी डीलर द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक/प्रवर्तन निरीक्षक मालपुरा को देनी चाहिये थी। दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूचनाओं का इन्द्राज हो रखा था तो बोर्ड दुकान के बाहर लगा होना चाहिये था। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर ने विभागीय दिशा–निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है तथा 11714.4 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।पोस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक गैहूं 14214.4 किलोग्राम था जिसमें से 2500 किलोग्राम गेहूं तो दुकान में उपलब्ध था बाकी गैहूं 11714.4 किलोग्राम गैहू मेरे भाई ने जो निगम की गाडी में आया था को बगल वाली दुकान में उतरा दिया था क्योंकि दुकान में सफाई का कार्य चल रहा था। जिसका भौतिक सत्यापन मौके पर नहीं हो

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पाया,परन्तु जिला रसद अधिकारी की आदेशिका दिनाक 18.09.2024 पर डीलर के हस्ताक्षर है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। 11714.4 किलोग्राम गैहू बगल वाली दुकान रखा हुआ था तो उसकी सूचना डीलर को जिला रसद अधिकारी/प्रर्वतन निरीक्षक मालपुरा को तत्समय ही देनी चाहिये थी और निरीक्षण के समय इस बाबत जांच अधिकारी के समक्ष लिखित मे आपत्ति कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पत्रावली मे उपलब्ध नही है।

जिला रसद अधिकारी/ प्रवर्तन अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 10.05.2024 को डीलर की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दो स्वतंत्र गवाह रामावतार व रामसहाय तथा स्वंय डीलर की उपस्थिति मे किया गया है। उचित मूल्य दुकान–निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 10.05.2024 पर दोनो स्वंतत्र गवाह व डीलर के हस्ताक्षर है। पूरण सिंह स्वंय डीलर है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दुकान का निरीक्षण दोनो स्वंतत्र गवाह व डीलर की उपस्थित मे किया गया है और सत्यापन के दोराने 11714.4 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया है।

वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर डीलर द्वारा निम्नांकित अनियमितता करना पाया गया।

1–वक्त निरीक्षण दुकान के बाहर उपभोक्ता पखवाडे से सम्बन्धित सूचना का अंकन नहीं किया जाना पाया गया।

2–वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान के बाहर दुकान खुलने व बन्द होने का समय अंकित नहीं पाया गया।

3–दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रर्दशन नहीं किया जाना पाया गया।

4–पॉस मशीन पर उपलब्ध स्टॉक के अनुसार दुकान में 14214.4 किलोग्राम गेहूँ होना चाहिए किन्तु मौके पर कुल 2500 किलोग्राम गेहूँ का स्टॉक पाया गया। इस प्रकार कुल 11714.4 किलोग्राम गेहूँ कम पाया गया।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से गेहूँ का उपभौक्ताओ को वितरण ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5,8.व 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 18.12.2024 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर, टोंक

जिला कलक्टर
टोंक